न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला फागी

मुकदमा नम्बरः– 75/2025
निर्णय दिनांकः–30.05.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. श्योकरण पुत्र भुवाना, जाति जाट, निवासी ग्राम टीकेल नरूकान, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार जी, तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री नैतराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांकः–30.05.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 145 के आराजी खसरा नं. 417/2 रकबा 0. 4932 हैक्टेयर, खसरा नं. 418 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 419/2 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 462/2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नं. 471 रकबा 0. 3035 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.3784 हैक्टेयर व खतौनी सं. 150 का आराजी खसरा नं. 725/3 रकबा 0.4299 हैक्टेयर व खतौनी सं. 229 कर आराजी खसरा नं. 734 रकबा 0.0379 हैक्टेयर व खत्तीनी सं. 292 के आराजी खसरा नं. 675 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नं. 729 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नं. 730 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर व खतौनी सं. 296 का आराजी खसरा नं. 966/716 रकबा 1.2645 हैक्टेयर व खतौनी सं. 306 का आराजी खसरा नं. 910 रकबा 11.2288 हैक्टेयर व खतौनी सं. 222 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं. 308 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 310/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 597 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 604 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.1896 हैक्टेयर व खतौनी सं. 264 के आराजी खसरा नं. 713/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 713/2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टीकेल नरूकान, पटवार हल्का कांसेल, भू.अभि.क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी

लगातार.....2

जिला क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी अपने उक्त हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृकि भूमि है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता स्व. भुवाना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा उनकी मृत्युपरान्त जरिये फौती नामान्तकरण प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वख्वक्त फौती नामान्तकरण दर्ज करते समय राज कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम मजमेआम में जाँच नहीं कर खाता सं. 264 में प्रार्थी का नाम श्योकरण के स्थान पर शिवकरण व उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम श्योकरण पुत्र भुवाना के स्थान पर श्योकरण पुत्र भुवानाराम/ भवानाराम/भवानीराम/भवाना नाम दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का रिकार्डेड असल नाम श्योकरण पुत्र भुवाना है तथा प्रार्थी के पिता का नाम भुवाना है प्रार्थी कम पढे लिखें होने व परिवार कि जिम्मेदारीयों के कारण अपने राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में अपने व अपने पिता के गलत नाम की जानकारी नहीं रख सका। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, परिवार पैनकार्ड, वाहन आर.सी. राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी खाता सं. 270 व 297 में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम श्योकरण पुत्र भुवाना है जबकि श्योकरण पुत्र भुवाना, शिवकरण पुत्र भुवाना व प्रार्थी के पिता का नाम श्योकरण पुत्र भुवानाराम/भवानाराम/भवानीराम/भवाना गाँव टीकेल नरूकान में एक ही व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी का नाम खाता सं. 264 में शिवकरण के स्थान पर श्योकरण व उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये प्रार्थी उक्त आराजीयात की दुरस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी साक्षर व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। अभी हाल ही दिनांक 27/03/2025 को प्रार्थी अपनी आराजी पर किसान कार्ड रिनेवल करवानें वास्ते बैंक में गया तो बैंक वालों ने बताया कि राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 264 में तो तुम्हारा नाम श्योकरण के स्थान पर शिवकरण तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम श्योकरण पुत्र भुवाना के स्थान पर भुवानाराम/भवानाराम/भवानीराम/भवाना नाम दर्ज है नाम दुरूस्त होने पर बैंक वालों ने ऋण देने का आश्वासन दिया। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थी उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब अप्रार्थी के पास गया तो अप्रार्थी ने दिनांक 02/04/2025 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। साक्षर एवं नासमझ होने के कारण

लगातार.....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी खेतीहर व्यक्ति है जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को वाद कारण दिनांक 02/04/2025 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे निवेदन किया कि श्योकरण पुत्र भुवाना, श्योकरण पुत्र भुवानाराम व श्योकरण पुत्र भवानीराम उक्त तीनों व्यक्ति एक ही है। अतः नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। पटवार हल्का के बिन्दुवार जवाब में बताया कि श्योकरण पुत्र भुवाना के स्थान पर शिवकरण पुत्र भुवाना हो गया जबकि श्योकरण पुत्र भुवानाराम, भवानाराम, भवानीराम, भुवाना व शिवकरण पुत्र भुवाना भी एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम टीकेल नरूकान मे स्थित खाता सं0 145, 150, 292, 296, 306, 222, 264 में प्रार्थी के पिता का नाम भिन्न – भिन्न नाम व शिवकरण पुत्र भवानीराम दर्ज रिकार्ड है। जबकि तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे सभी नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है एवं दुरूस्त किये जाने की अभिषंशा की है। ग्राम पंचायत कांसेल ने भी अपने प्रमाण पत्र मे श्योकरण पुत्र भुवानाराम, श्योकरण पुत्र भवानाराम, श्योकरण पुत्र भवानीराम, श्योकरण पुत्र भवाना तथा श्योकरण

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(4)

पुत्र भुवाना व शिवकरण पुत्र भुवाना एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 145 के आराजी खसरा नं. 417/2 रकबा 0. 4932 हैक्टेयर, खसरा नं. 418 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 419/2 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 462/2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नं. 471 रकबा 0. 3035 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.3784 हैक्टेयर व खतौनी सं. 150 का आराजी खसरा नं. 725/3 रकबा 0.4299 हैक्टेयर व खतौनी सं. 229 कर आराजी खसरा नं. 734 रकबा 0.0379 हैक्टेयर व खत्तीनी सं. 292 के आराजी खसरा नं. 675 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नं. 729 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नं. 730 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर व खतौनी सं. 296 का आराजी खसरा नं. 966/716 रकबा 1.2645 हैक्टेयर व खतौनी सं. 306 का आराजी खसरा नं. 910 रकबा 11.2288 हैक्टेयर व खतौनी सं. 222 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं. 308 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 310/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 597 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 604 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.1896 हैक्टेयर व खतौनी सं. 264 के आराजी खसरा नं. 713/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 713/2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टीकेल नरूकान के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रार्थी का नाम शिवकरण पुत्र भवानीराम के स्थान पर श्योकरण पुत्र भुवाना व प्रार्थी के पिता का नाम श्योकरण पुत्र भुवानाराम/भवानाराम/भवानीराम/भवाना के स्थान पर भुवाना व शिवकरण पुत्र भवानीराम के स्थान पर श्योकरण पुत्र भुवाना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)